



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062022-236289
CG-DL-E-04062022-236289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2431]
No. 2431]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISTHA 13, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 2558(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में जलगांव – भडगांव – चालीसगांव – मनमाड – चांदवड, राष्ट्रीय राजमार्ग NH753J के नांदगांव – मनमाड खंड कि.मी. 147.425 से कि.मी.168.800 तक के (21.375 किमी) पक्की कंधो के विन्यास के साथ दो लेन रोड का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), राष्ट्रीय हमरस्ता प्रकल्प, नाशिक को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई

के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH753J के कि.मी. 147.425 से कि.मी.168.800 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नासिक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नांदगाव					
गांव का नाम: हिसवल बुद्रुक					
1	13	निजी	शुष्क	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
2	17	निजी	शुष्क	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000
3	26	निजी	शुष्क	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
4	27	निजी	शुष्क	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
5	433	निजी	शुष्क	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
6	56/1	निजी	शुष्क	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
7	81	निजी	शुष्क	0.0330000(हेक्टेयर)	0.0330000
कुल				0.5120	0.5120

[फा. सं. 1203/9/2018-MAH(Zone-4)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 2558(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule

below, is required for Up gradation of Nandgaon-Manmad section-IV from Km.147/425 to Km.168/800 (21.375 Km.) of Jalgaon – Bhadgaon –Chalisgaon – Manmad - Chandwad Road of NH-753J to two lane with paved shoulders configuration in the district of Nashik in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector (Land Acquisition) National Highway Project, Nashik in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief discription of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km147/425 to Km168/800 of NH-753J in the district of Nashik, in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: NASHIK			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nandgaon					
Village: Hiswal Bk.					
1	13	Private	Dry	0.1800000(Hectare)	0.1800000
2	17	Private	Dry	0.0350000(Hectare)	0.0350000
3	26	Private	Dry	0.0900000(Hectare)	0.0900000
4	27	Private	Dry	0.0010000(Hectare)	0.0010000
5	433	Private	Dry	0.0030000(Hectare)	0.0030000
6	56/1	Private	Dry	0.1700000(Hectare)	0.1700000
7	81	Private	Dry	0.0330000(Hectare)	0.0330000
Total				0.5120	0.5120

[F. No. 1203/9/2018-MAH(Zone-4)/3A]

RAJESH GUPTA, Director